फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 51/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/84) **श्री लक्ष्मण कुम्हार व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत - वकील अपीलार्थी 2. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील प्रत्यर्थी-1 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** 1. श्री लक्ष्मण पिता श्री नाथु जी कुम्हार, निवासी बड़गावं, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर। 2. श्री शब्बीर हुसैन पिता श्री अब्बास अली बोहरा, निवासी बड़गावं, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर। **अपीलार्थी** 1. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2008** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 09.05.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2008 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • राजस्व ग्राम बड़गावं के खसरा नम्बर 1597, 1598 कुल किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि के कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन बाबत आवेदन अन्तर्गत धारा-90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-90बी एलआर एक्ट, 1956 दिनांक 19.07.2008 को पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 96 दिनांक 05.01.2024 के क्रम में हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिस दर्ज रजिस्टर पर पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। फर्द अहकाम पर अंकित पेशियों अनुसार अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई और दिनांक 08.05.2024 को उभय पक्ष के अधिवक्तागण की विस्तृत बहस सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है** कि राजस्व ग्राम बड़गावं के खसरा नम्बर 1597, 1598 कुल किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि के कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन बाबत आवेदन अन्तर्गत धारा-90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-90बी एलआर एक्ट,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 51/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/84) **श्री लक्ष्मण कुम्हार व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1956 दिनांक 19.07.2008 को पारित किया गया। उक्त आवेदन कुछ भु-माफियाओं द्वारा उनके द्वारा दिये लालच एवं दबाव में आकर नगर विकास प्रन्यास समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये, जबकि अपीलार्थी का मूल आजीविका का साधन कृषि भूमि ही रही है, उक्त भूमि पर प्रयोजन हेतु दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। उक्त रूपान्तरण होने से अपीलार्थी न तो उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर पा रहा है, न ही सरकार द्वारा कृषि कार्य को बढ़ावा देने हेतु प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ ले पा रहा है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का कभी भी संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग नहीं किया गया, जिस हेतु न्यायालय समक्ष गुगुल मेप की कलर प्रिन्टआउट भी प्रस्तुत किया जा रहा है, जो यह प्रदर्शित करता है कि उक्त भूमि आज भी संपरिवर्तन से पूर्व कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लाई जा रही है। उक्त भूमि के पुनः कृषि प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने में नगर विकास प्रन्यास की किसी भी योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उक्त भूमि का एकल पट्टा ही जारी किया गया है। न ही आस पड़ौस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। दौरान बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह अंडरटेकिग प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त भूमियों को पुनः कृषि प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने पर उसके द्वारा पूर्व में अदा संपरिवर्तन शुल्क हेतु कभी भी क्लेम नहीं किया जावेंगा। उक्त भूमि को पुनः कृषि प्रयोजन दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आग्रह करने पर उनके द्वारा असमर्थता जाहिर की और अपील प्रस्तुत किये जाने के प्रावधानों के बारे में अवगत कराया जिस पर हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए आवेदित भूमि को पुनः कृषि प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने का अनुरोध किया।

अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यास की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब/आपत्ति की ओर ध्यान आकृष्ट अपने कथन में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का संपरिवर्तन उपरान्त एकल पट्टा प्राप्त कर उप-विभाजन कराना चाहा जिस पर प्रावधानोनुसार 60-40 के अनुपात में भूमि को छोडनें पर उप-विभाजन किया जा सकता है, जिसकी वजह से अपीलार्थी 90बी निरस्त कराना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है, वह पूर्णतया विधि सम्मत होनें से उसमें कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है, जो इसी बिन्दु पर खारिज योग्य है।

प्रत्यर्थी-2 तहसीलदार बड़गावं की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा अपील अपीलान्ट पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर निस्तारित किये जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पक्षकारान को सुलभ न्याय के सिद्वान्त के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर मनन उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि राजस्व ग्राम बड़गावं के खसरा नम्बर 1597, 1598 कुल किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर भूमि के कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन बाबत आवेदन अन्तर्गत धारा-90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-90बी एलआर एक्ट, 1956 दिनांक 19.07.2008 को पारित किया गया। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 51/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/84) **श्री लक्ष्मण कुम्हार व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जादी का पेश कर अवगत कराया कि अपील में उसके द्वारा सहवन से आराजी संख्या 1597, 1598 कुल किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर के अतिरिक्त अन्य आराजी संख्या 1598/1940 को भी अंकन किया गया है, जिस पर कोई दाद नहीं चाही जाने से आराजी संख्या 1598/1940 पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र धारा-151 को स्वीकार करते हुए इस प्रकरण में 1597, 1598 कुल किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर पर पारित आदेश दिनांक 19.07.2008 पर विनिश्चय किया जा रहा है। दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उक्त संपरिवर्तन की कार्यवाही को भूमाफियाओं के दबाव में आकर कराया गया परन्तु संपरिवर्तन उपरान्त अपीलार्थी का कृषि के अतिरिक्त उक्त भूमि का किसी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया गया। यहां अपीलार्थी का कथन औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है कि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन से वह कृषि को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं परिलाभों से वंचित हो रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने से केन्द्र व राज्य सरकार की कृषि को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं और उसके परिलाभ प्रत्येक खातेदार कृषक को लाभ मिलना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब से यह कभी परिलक्षित नहीं होता है कि यदि आवेदित आराजी संख्या 1597, 1598 कुल किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर को पुनः कृषि प्रयोजन दर्ज कर दिया जावें, तो उनके द्वारा संचालित किसी योजना पर कोई प्रभाव पड़ेगा और किसी पड़ोसी खातेदार पर कोई प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा स्वयं यह अंडरटेकिंग न्यायालय हाजा के फर्द अहकाम दिनांक 08.05.2024 पर की गई कि वह उक्त भूमि के संपरिवर्तन हेतु अदा शुल्क हेतु कभी भी कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसे में यदि उक्त भूमि को पुनः कृषि प्रयोजन दर्ज कर दिया जावें तो किसी प्रकार की राजस्व हानि भी नहीं होगी। **परिणामतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है और आराजी संख्या 1597, 1598 कुल किता 2 रकबा 0.3000 हैक्टेयर के संबंध में पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90बी दिनांक 19.07.2008 अपास्त किया जाता है और भूमि पुनः पूर्वानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।** अपीलार्थी से यह अपेक्षित है कि वह अधीनस्थ न्यायालय समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि वह उक्त भूमि के संपरिवर्तन हेतु अदा शुल्क की पुनः अदायगी हेतु कभी कोई क्लेम नहीं करेगा क्योंकि अपीलार्थी स्वयं उक्त आदेश निरस्त कराना चाहता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	